i next
Lucknow, 21 October 2012

बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध

i next reporter

LUCKNOW(20 Oct): उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल और फर्नीचर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने कामर्शियल बिजली की दर में 20 प्रतिशत की गई बढ़ोतरी के खिलाफ रोष जताया है. व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने के अनुसार बिजली विभाग चोरी रोकने में तो नाकाम है और हम लोगों को पर बोझ बढ़ा रहा है. उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. वहीं एसोसिएशन के महामंत्री नसीम अंसारी ने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 प्रतिशत बिजली बढ़ाकर हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी. उन्होंने कहा कि पहले राज्य पांवर कारपोरेशन बिजली की आपूर्ति सही करे फिर दामों में बढ़ोतरी करे.

कमी सुधार लेते तो बिजली महंगी न करनी पड़ती

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

शहर में हजारों हॉस्टल चल रहे हैं। वे किराएदारों से कमर्शियल दर पर बिल वसूल रहे हैं। बिजली चोरों की संख्या उपभोक्ताओं से 20 फीसदी ही कम है। कमर्शियल टैरिफ बढ़ते ही बिजली महकमे के काम करने के ढंग पर सवाल उठने लगे हैं। कितने आवासीय भवनों में व्यावसायिक बिजली उपभोग हो रहा है इसका कोई रिकॉर्ड लेसा के पास नहीं है।

शहर की आबादी 40 लाख है। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी लाखों में है। ऐसे में लेसा के कमर्शियल उपभोक्ताओं की संख्या सिर्फ 1.15 लाख, चौंकाने वाली है क्योंकि बिजली का बिल सभी दे रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के

लेसा के उपभोक्ता

- कुल- 6.90 लाख
- बिल जमा कर रहे- 6.10 लाख
- वाणिज्यिक उपभोक्ता - 1.15 लाख

लखनऊ चैप्टर अध्यक्ष प्रशांत भाटिया के मुताबिक 40 फीसदी बिजली लाइन हानि में दर्ज हो रही है। बिजली चोरों पर कोई लगाम नहीं लेकिन जो समय से बिल जमा कर रहे हैं उनकी बिजली महंगी कर विभाग अपनी कमियां छिपा रहा है। वहीं, एक इंजीनियर ने बताया कि गोमती नगर, अलीगंज, महानगर, आशियाना, आलमबाग समेत दर्जनों कालोनियों में हजारों की संख्या में लोग घरेलू बिजली का कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। मई माह में पावर कारपोरेशन के तत्कालीन चेयरमैन अवनीश अवस्थी ने मध्यांचल के एमडी और लेसा चीफ से इस बात की चिंता भी जताई थी। उनसे घर में हॉस्टल चला रहे लोगों से कमर्शियल बिल वसूलने की बात भी कही थी। बावजूद इसके कर्मचारियों की मिलीभगत का फायदा कई घरेलू उपभोक्ता उठा रहे हैं। इसके अलावा बिजली चोरी करने वालों पर भी कार्रवाई तभी होती है जब 'ऊपर' से आदेश आता है। 40 फीसदी बिजली लाइन हानि में दर्ज हो रही है, यानी चोरी हो जा रही है। लेसा मुख्य अभियंता प्रदीप टंडन के मुताबिक घरेलू बिजली पर हॉस्टल चलाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन कमर्शियल किए जा रहे हैं।

व्यापारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

लखनऊ। राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से वाणिज्यिक विद्युत दर में की गई 20 प्रतिशत बढ़ोतरी से व्यापारियों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मण्डल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा है कि विद्युत विभाग बिजली चोरी नहीं रोक पा रहा है और व्यापारियों पर बोझ बढ़ाता जा रहा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के उपाध्यक्ष सुरेश छबलानी और किराना मार्केट के प्रबोध जैन का कहना है कि बिजली की दरों में की गई यह वृद्धि व्यापार जगत के लिए बड़ा झटका है।

Industries threaten strike against power tariff hike

COUNTER-MOVE They may also move the high court seeking quashing of the tariff order

HT Correspondent
lkoreportersdesk@hindustantimes.com

LUCKNOW: Various industry associations and trader organisations have threatened to go on an indefinite statewide strike by handing over the keys of their units to the chief minister unless the state government rolls back the 'steep' power tariff hike announced by the UP Electricity Regulatory Commission (UPERC) on Friday.

Representatives of these organisations issued a jointly signed statement to the press after a meeting here on Saturday.

Sources said industry and other associations might approach the high court, seeking quashing of the tariff order. Those who took part in an emergency meeting on the issue here included Indian Industries Association (IIA) general secretary Manish Goyal, UP Rajya Vidyut Upbhokta Parishad president Avadhesh Kumar Verma, Associated Chambers of Commerce and Industry-UP (ASSOCHAM-UP) general secretary SV Agrawal and IIA ex-chairman GC Chaturvedi. The participants also included UP Chamber of Steel Industries vice-president Shiv Shankar Awasthi, Ice-Cream Manufacturing Association member Chetan Bhalla, IIA-Lucknow chapter chairman Prashant Bhatiya and consumer representative Ramashankar Awasthi.

The representatives said the UPERC not only secretly declared the tariff order under the UPPCL pressure, but also made a steep hike in respect of industrial and commercial consumers which according to them was 30-60 %.

"On the one hand, the government talks of an industrial policy to attract investment, on the other hand it makes power costlier for them, indiscriminately," they regretted. They said they would hold a joint press conference here on Sunday to declare their strategy on the issue.

Awadhesh Kumar Verma, UPRVUP president and world energy council member, said the issue of the regulator retaining the minimum demand charges for industries on the UPPCL's insistence would also be raised vigorously as this was an attempt to weaken the regulator's autonomy.

"The tariff order has lost legal sanctity because UPERC chairman Rajesh Awasthi who had been involved in the tariff exercise for months was removed by the Supreme Court hours before the commission members announced the tariff order," argued the sources.

SOME MULL MIGRATION

BAREILLY: The Uttar Pradesh Regulatory Commission's decision to increase power tariff for industries and commercial consumers caused a resentment among Bareilly industrialists. They termed the decision as "absurd" and claimed that it would force them to halt their business in the city and migrate to other places.

Bareilly, which rather acts as a 'gateway' to the main cities, has around 600 industries, including oils industries, plywood mills, rice mills, flour mills, paper mills and others. Besides, it has four designated places -- Parsa Khera, Bhojipura, CB Ganj and Rajauparaspur -- for industries. Despite all, the industrialists believe that the exorbitant hike would force them to leave the city.

"Yes, this will force us to look for a suitable place in the neighboring state Uttarakhand that has much favourable conditions in comparison to Uttar Pradesh," said Bharat Bhooshan Sheel, central secretary of the Indian Industries Association (IIA). In the recent past, Sheel said, many leading industrialists had already shifted their set ups to Uttarakhand. Also, some of the big industrialists have been shifted to Gujarat and Maharashtra in search of better power conditions. "I am sure, the decision to hike the power tariff will further expedite the migration process," added Sheel. Ghanshyam Khandelwal, owner of BL Agro and a leading industrialist from the city, sees the hike as an attack on the pockets of industrialist. "They are forcing us to launch vigourous protests -- the way the activists of India Against Corruption (IAC) are carrying out in Delhi over the same issue," said Khandelwal. HTC

SUNDAY अमर उजाला
लखनऊ | रविवार | 21 अक्तूबर 2012

उद्योगों की तालाबंदी कर सीएम को सौंपेंगे चाबी

बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ उद्यमी

अमर उजाला ब्यूरो

- उपभोक्ता संगठन लामबंद
- नई दरें वापस लेने की मांग, आज तय करेंगे भावी रणनीति

लखनऊ। बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी से नाराज उद्यमियों ने नई दरें वापस न लिए जाने पर उद्योगों की तालाबंदी करके चाबी मुख्यमंत्री को सौंपने का ऐलान किया है। औद्योगिक संगठनों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की भी चेतावनी दी है।

उद्यमी और उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि सरकार जहां एक तरफ नई औद्योगिक और आईटी नीति का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि करके उद्योग-व्यापार को बंदी की कगार पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के सभागार में रविवार को औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं अन्य उपभोक्ता संगठनों की बैठक में भावी रणनीति तय की जाएगी।

आईआईए, एसोचैम, यूपी चैंबर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, आइसक्रीम मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद तथा अन्य उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों की शनिवार को यहां हुई बैठक में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बिजली की दरों में वृद्धि का जबरदस्त विरोध किया गया। बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ संगठनों ने संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने का फैसला किया। प्रतिनिधियों का आरोप है कि आयोग ने गुपचुप तरीके से बिजली दरें घोषित की हैं।

दरों में 17.63 फीसदी वृद्धि के आयोग के दावे को गलत बताते हुए कहा गया कि उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की दरों में 35 से 60 फीसदी तक इजाफा किया है। इससे उद्योग और व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि पावर कॉर्पोरेशन को 35-40 फीसदी राजस्व उद्योगों से ही मिलता है। उद्योग नियमित भुगतान करते हैं और उन पर बहुत ज्यादा बकाया भी नहीं है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उद्योगों की ही दरों में की गई है।

...तो प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए होंगे विवश

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि यदि सरकार बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस नहीं लेती है तो सभी उद्यमी अपने उद्योगों की तालाबंदी करके चाबी मुख्यमंत्री को सौंप देंगे और प्रदेशव्यापी हड़ताल के लिए विवश होंगे। नई दरों से साफ हो गया है कि सरकार प्रदेश में उद्योगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। रविवार को आईआईए में सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारी व उपभोक्ता संगठनों की बैठक बुलाई गई है जिसमें भावी रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में आईआईए के महासचिव मनीष गोयल, एसोचैम के महासचिव एसबी अग्रवाल, यूपी चैंबर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष शिव शंकर अवस्थी, आइसक्रीम मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेतन भल्ला समेत कई अन्य उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

व्यापारियों ने जताया विरोध

व्यापारियों ने वाणिज्यिक बिजली की दरों में वृद्धि का विरोध करते हुए व्यापारियों ने इसे महंगाई को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारियों को पर्याप्त बिजली देने के बजाय उसके रेट को बढ़ाया जा रहा है जो उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से बढ़ी दरें वापस लेने की मांग की है।

8 | राष्ट्रीय सहारा | www.samaylive.co

लखनऊ। रविवार • 21 अक्टूबर • 2012

कामर्शियल बिजली दरों में वृद्धि का विरोध

लखनऊ (एसएनबी)। व्यापारी संगठनों ने वाणिज्यिक व औद्योगिक विद्युत दरों में मूल्य वृद्धि पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे उद्योग और व्यापार विरोधी करार दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल व लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा है प्रदेश में वाणिज्यिक और औद्योगिक विद्युत दरों में 20 से 30 फीसद की वृद्धि सरासर अनुचित है। इसका सीधा असर उद्योग और व्यापार पर पड़ेगा जिससे महंगाई और बढ़ेगी। बनवारी लाल कंछल ने कहा है कि उद्योग व व्यापार को तबाही से बचाने के लिए सरकार को उद्यमियों पर बढ़ाई गयी विद्युत दरों को वापस लेना होगा। उधर व्यापारी नेता अशोक मोतियानी ने कहा है कि वाणिज्यिक व औद्योगिक विद्युत दरों में वृद्धि को व्यापारी व उद्यमी कतई स्वीकार नहीं करेगा, सरकार ने यदि अपना यह फैसला वापस न लिया तो उन्हें सड़क पर उतर कर आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। उधर उत्तर प्रदेश सर्व समाज व्यापार मण्डल के अध्यक्ष सैयद महमूदुहमान ' पम्मू' व आदर्श व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्त ने भी राज्य सरकार से वाणिज्यिक व औद्योगिक विद्युत दरों में की गयीं भारी वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा न किया गया तो सूबे का उद्योग व व्यापार नष्ट होने के कगार पर आ जाएगा।

लखनऊ, रविवार, 21 अक्टूबर, 2012 (15)

स्वतंत्र भारत

नयी विद्युत दरों को लेकर होगा आन्दोलन

प्रमुख संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा शुक्रवार को गुपचुप तरीके से औद्योगिक और व्यावसायिक विद्युत दरों में की गई बढ़ोत्तरी पर सामाजिक और औद्योगिक संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर

■ शेष पेज 15 पर

नयी विद्युत दरों..

दिये हैं तथा इन संगठनों ने एक मंच पर आकर इसके विरोध में आन्दोलन तक करने की चेतावनी दे डाली है। घरेलू, शहरी ग्रामीण एवं किसानों की बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है परन्तु वर्तमान में बिजली कम्पनियों द्वारा जो लचर बिजली आपूर्ति प्रदेश में कराई जा रही है उसके अनुसार तो बिजली दरों में कमी करना चाहिए था क्योंकि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता के आधार पर ही बिजली दर का निर्धारण आयोग को नियमानुसार करना था परन्तु कुल औसत वृद्धि २०-२२ प्रतिशत कर दी गई जो औद्योगिक ढांचे को चरमरा देने महंगाई से कराह रही जनता को इस बोझ से और कराह देने वाली है। बिजली दर को १ अक्टूबर से लागू करने का आदेश भी करा लिया गया जो पूरी तरह उपभोक्ता विरोधी कार्यवाही है। बताते हैं कि नियामक आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार सुबह रद्द किये जाने के बाद पावर कॉरपोरेशन द्वारा दबाव डालकर आयोग सदस्यों से विद्युत दरें जारी करा दी गईं। सूत्र बताते हैं कि पावर कारपोरेशन में मुख्य अभियन्ता रहे एक सदस्य को दबाव में लेकर यह कार्य कराया गया। चर्चा है कि पहले भी कारपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ने उक्त सदस्य के खिलाफ जांच बैठा दी थी इन पर सेवानिवृत्ति से पूर्व कारपोरेशन में जांच समिति का प्रमुख रहने के चलते तमाम आरोपियों का दोषमुक्त करने का इल्जाम लगा था, इसके अलावा हाईकोर्ट में इनकी नियुक्ति को चुनौती भी दी गई थी परन्तु तकनीकी खामियों के कारण उक्त याचिका खारिज हो गई थी उस प्रकरण को अदालत में फिर से समुचित न्यायालय में चुनौती दिलाने और कारपोरेशन में चल चुकी जांच को पुनः शुरू कराने की धमकी देकर विद्युत दरों पर आनन-फानन में फैसला कराया गया। यह भी चर्चा है कि कारपोरेशन के कुछ उच्चाधिकारी लगातार नियामक आयोग पर दरों में बढ़ोतरी करने एवं एक और नया स्लैब बनाने हेतु दबाव डाल रहे थे। पूर्व में शासन की ओर से भी आयोग को शीघ्र विद्युत दरें घोषित करने के लिए पत्र लिखा गया था, इस पर आयोग चेयरमैन की ओर से शासन के उस पत्र को खारिज करते हुए उस पर कड़ा ऐतराज जताया गया था। विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से विगत दिवस विद्युत दरें जारी किये जाने की गुप-चुप प्रक्रिया शुरू होने पर घरेलू शहरी के फिक्स चार्ज को समाप्त न करना पर विरोध दर्ज कराया था तथा अन्य श्रेणी में जो बिजली दरों का इजाफा किया गया उसकी भी आलोचना की थी अब परिषद की तरफ से आयोग के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही गई है, इसमें किसानों की बिजली दरों में कमी की भी गुहार लगाई जाएगी। उपभोक्ता परिषद के साथ-साथ इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, के महासचिव मनीष गोयल, एसोचैम के महासचिव एसबी अग्रवाल, यूपी चैम्बर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज के शिवशंकर अवस्थी, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेतन भल्ला, इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चिनहट इंडस्ट्रियल एरिया के उपाध्यक्ष पुनीत अरोरा, लघु उद्योग भारती के संयोजक अश्विनी कुमार और व्यापार मंडल नेताओं में संदीप बंसल, बनवारी लाल कंछल और संजय गुप्ता ने इस वृद्धि के विरोध में आन्दोलन की चेतावनी दी है। इस सम्बन्ध में रविवार को बैठक कर रणनीति पर विचार किये जाने का फैसला भी लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उद्योगों की दरें ३० फीसदी तक और शहरी वाणिज्यिक दरें २० फीसदी तक बढ़ा दी गई हैं। अब अस्थायी कनेक्शन शादी-विवाह और भवन निर्माण के लिए १८०० रुपये के बजाये २५०० रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। यह दरें ३१ मार्च २०१३ तक प्रभावी रहेंगी, अगले वित्तीय वर्ष में फिर से इसमें इजाफा किया जा सकता है।

श्री टाइम्स

लखनऊ • रविवार • 21 अक्टूबर, 2012

बढ़ी बिजली दरों से उद्यमी आंदोलित, हो सकती हैं हड़ताल

लखनऊ। उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुपचुप तरीके से बढ़ाई गई विद्युत दरों से उद्यमी वर्ग आंदोलित है। आयोग के इस निर्णय में उद्योगों और व्यवसायिक बिजली दरों में बेहताशा वृद्धि की गई है। जिससे आंदोलित होकर आईआईए भवन में राज्य के कई औद्योगिक व उपभोक्ता संगठनों ने संयुक्त बैठक की। आईआईए महासंचिव मनीष गोयल ने कहा कि बढ़ी हुई दरों के खिलाफ प्रदेशव्यापी लड़ाई लड़ने के लिए सभी उद्यमी तैयार रहे। आयोग का कहना है कि दरों में 17.63 फीसदी वृद्धि की गई है जबकि हकीकत यह है कि उद्योगों को मिलने वाली बिजली दरों में 35 से 60 फीसदी की वृद्धि हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शासन ने बढ़ी विद्युत दरों को तत्काल वापस न लिया तो विवश होकर राज्य के सभी उद्यमी अपने उद्योगों की चाबी मुख्यमंत्री को सौंप कर प्रदेश व्यापी हड़ताल करने को विवश होंगे। बैठक में मुख्य रूप से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए, उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद, पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स, एसोचैम, यूपी चैम्बर आफ स्टील इंडस्ट्रीज और आइसक्रीम मैनयू एसोसिएशन उपस्थित रहे।